

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602890

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर, मुरादाबाद तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00377

क्षेत्री : 4.क / उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण, अधि, अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि (क) जो उ.प्र. जोत सी. आ. अ. के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो

खसरा/गाटा संख्या	खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खातेदार का अंश				
	(2) नाम पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
681 मि	1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद	1) अन्य / 501/अमलदरामद 10-10-2025 / पुनर्ग्रहण		681 मि 1151920681200242	0.1900	11 -	1) 0.1900	0.00
							0.1900	

कुल गाटे : 1 कुल क्षेत्रफल - 0.1900 (हेक्टर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - 1.01900 (हेक्टर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
	(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड
1) अन्य / 501/अमलदरामद 10-10-2025 / पुनर्ग्रहण / RAM SINGH RAWAL 10-11-2024	1) अतिरिक्त घोषित भूमि --- : --- शेष क्षेत्रफल : 0.00000	681 मि 1151920681200242	1.1) 0.1900	1.1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद / . / .	681 मि 1151920681200242)	1.1) 0.1900

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :



18.2) वंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1410फ आदेशानुसार सक्षमप्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.150/न.भू.सी.2003दि.1.6.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं.93दि.19.5.03के अन्तर्गत इस कार्यालय की पत्र सं.93दि-19.5.2003 के द्वारा वाद सं.315/2001 सरकार बनाम पूरन मे अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं.263/2043.20वर्ग
- 2) मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर संबंधित भू धारक पूरन अथवा उसके वैध वारिसानो का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हो ह.ले.8.7.03
- 3) 1410फ आदेशानुसार रा0 नि0 पाकबड़ा द्वारा प.क.11 क दि.21-7-03 को आदेश हुआ कि खाता सं. 370 से मृतक पूरन के स्थान पर नन्हे पुत्र पूरन नि ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह.ले.21-7-03
- 4) 1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183/आठ वि.भू.अ.अ/मुरादाबाद दि.16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर मे गाटा सं. 263पर अमलदरामद मे हुई त्रुटि का परीक्षण कराकर संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि /1.25 एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास
- 5) प्राधिकरण के नाम तथा इसी न.से 1.02 एकड़ भूमि नगर भूमि सीमा रोपड मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखो मे दर्ज हो ह.ले .25-10-02
- 6) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.647/ 31-12-02 को आदेश हुआ कि खाता सं. 240,295,370, के गाटा सं0 263मि /2.27एकड़ मे से 0.32 एकड़ लगान 45.00 रु के बकदर भाग से रामराज सिंह विश्रोई पुत्र रामसरन विश्रोई नि.वी.एस-41 दीनदयालनगर एम.डी.कालोनी मुरादाबाद वहीसियत मुख्तयारेआम
- 7) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास नि.झांझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्रोई पत्नी रामराज सिंह विश्रोई वि.एस.-41 दीनदयाल नगर एम.डी.ए.शहर मुरादाबाद व गजरामसिंह पुत्र रामसरनसिंह नि .विकास नगर लाईनपार शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह ले
- 8) ह ले.31-1-03
- 9) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/ 22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि /0.24-1/2 एकड़ लगान क्र मश: 2.60व 2.45के पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास
- 10) नि.झांझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.मौ.कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह .ले. 31.1.03
- 11) 1411फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.511/353/03धारा 34एल.आर.एक्ट आदेश दि. 23.1.2004के अन्तर्गत भानुप्रकाश बनाम मु पुनिया मे गाटा सं.263मि रकबई 0.63.मि -2043.20वर्ग मीटर स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद का राज्य सरकार का नाम खारिज करके भानुप्रकाश पुत्र
- 12) स्व0ओमप्रकाश नि ग्राम दलपतपुर तह0व जिला मुरादाबाद का नाम वजरिये अपंजीकृ त वसियतनामा दि.27.10.95के आधार पर दर्ज हो । प.क.11क का इन्द्राज दि.12.12.1994खारिज हो ह ले.24.1.04
- 13) 1411फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.584/न.भू.सी./03दि. 8.12.2003के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनिमय अधिनियम 1976के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि गाटा सं.263 श्रीमती पुनिया के नाम है । पूरन ओर पुनिया दोनो की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति मे
- 14) मे गाटा सं.263मि जो पुनिया के नाम था का श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन नि.सोनकपुर मुरादाबाद के जो भी वैध वारिसान हो के नाम दर्ज हो ह.ले.24.1.04
- 15) 1411फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.358/ 23.4.04आदेश हुआ कि खाता सं.370के गाटा सं.336 मि /0.24-1/2एकड़ L.R.2.45के पूर्ण भाग से अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि कोठीवाल नगर मुरादाबाद का नाम खारिज होकर श्रीमती ऊ पा वर्मा पत्नी घनश्याम वर्मा नि.बाजार कलौ मंडावर बिजनौर
- 16) व श्रीमती कमला श्रीवास्तव पत्नी स्व0राजबहादुर नि. लाईनपार मुरादाबाद का नाम बजरिए वेनामा दि.12.4.2003 के आधार पर दर्ज हो ह.ले.27.4.04
- 17) 1408फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा.पत्रांक सं. 1.220B/न.भू.सी/2001दि. 2.3.01के अत्रगत वाद सं. 1.264/2699सरकार बनाम नरायणदास मे धारा 45के अत्रगत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.8.7.94मे गाटा सं. 1.336मि/ 1983.03वर्ग मी.गाटा सं. 1.263मि/2116.20वर्ग मी.
- 18) भूमि पर राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित भू धारक नरायण दास पुत्र बाबू नि.सोनकपुर या उसके वैध वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हो ह. ले. 11.5.2001
- 19) 1408फ आदेशानुसार रा नि पाकबड़ा द्वारा प.क.11क दि.10.4.2002को आदेश हुआ कि खाता सं. 1.370से मृतक नरायनदास के स्थान पर हरप्रसाद.मोहनसिंह राजकुमार पुत्रगण नरायनदास व श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी स्व नरायनदास नि ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह. ले. 10.4.2002
- 20) 1414फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं0688/134/1601/06आदेश दिनांक 31.1.07 को आदेश हुआकि खातासं0370गाटासं0303मि रकवा 0.221व गाटासं0239मि 0.117पर अतिरिक्त घोषित भूमि के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनांक 8-5-06व20-1-07के आधार पर मूलकाशतकार
- 21) ग् गाराम उर्फ गजराम व कु व रिसेन पुत्र खिम्मी नि0सोनकपुर का नाम तथा वादहू विक्र य पत्र ग् गाराम आदि बहक अमृतलाल आदि एव0 विक्र य पत्र अमृत लाल आदि बहक कॅ चन

- के आधार पर ग्राम सोनकपुर निरस्त आराजी खातासं0370गाटासं0303मि/0.221हे0 मे से 0.202भाग से गुँगाराम उर्फ गजराम व कुंजर सेन पुत्र खिम्मू नि०सोनकपुर का नाम खारिज कर के श्रीमती केंचन तलवार पत्नी सी०एल०तलवार नि०102कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हो
- ह०आर०के०दिनांक २१.१.०७
- 23) 1400फ आदेशानुसार नगर भूमि सीमारोपण मुरा०के पत्रांक सूँ०321/न.भू.सी./2001दि.14.5.01सूँ लिंग पत्रांक सूँ०890/न.भू.सी./99दि.8-4-99के द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976की धारा 24के अन्तर्गत भू.धारिका श्रीमती कमला वही पत्नी साहू चुन्नी लाल नि.सिविल लार्डन मुरा०ग्राम सोनकपुर
- 24) स्थित गाटा सूँ०3355के 1 भाग की भूमि सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा 10(2)के अन्तर्गत आदेश दि.12.5.98 को भू.धारक के पक्ष में छोड़ दिया है ह.ले.2.7.01
- 25) 1415फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा०पत्रांक सूँ० 235/न.भू.सी./07दि.29.11.07 के अन्तर्गत पूर्व में अमलदरामद की गई भूमि ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सूँ०90मि रकबा 1421.20वर्ग मीटर व नाम मऊ स्थित गाटा सूँ०516मि 1144.72वर्ग मी.कुल 2567.92वर्ग मीटर पर राज्य सरकार के स्थान पर श्री वलवीर
- 26) सरन भटनागर पुत्र स्व रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद के पक्ष में दर्ज हो तथा उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रूपकिं शोर भटनागरपुत्र रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद की सीलिंग वादसूँ०1448
- 8011 में सक्षम प्राधिकारी के आदेशदिनांक 29.10.80 के द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि ग्राम मऊ स्थित गाटा सूँ०
- 27) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरा०के पत्रांक सूँ०90मि रकबा 1423.20वर्ग मी०कुल 2567.92वर्ग मी०भूमि पर तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा दिनांक 15.1.90को राज्य सरकार में पक्ष में कब्जा लिया गया । अतः उक्त भूमि राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज हो ह०आर०के० 010.3.08
- 28) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.23.10.08के अनुपालन में आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद वाद सं.305/944धारा 45नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 आदेश दि.10.4.92के अन्तर्गत सरकार
- 29) वनाम जेटू में गाटा सं.866व844जो नगर पालिका की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर स्थित है की क्रमश.4856-40व०मी०व647.52व०मी०अर्थात कुल 5503.92व०मी०भूमि उसकी कुल 8,193.52 व०मी०में से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसके पास कुल भवन सहित 2889.60व०मी०भूमि होती है
- 30) अतः भूधारक की 889.60व०मी०भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है जो गाटा सं.650से अभ्यर्पित की जायेगी तदनुसार आदेश दि.8.8.77संशोधित समझा जाय । ह०आर०के०दि.3.11.08
- 31) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक 158/न० भू०सी०/08दि.30.7.08के अनुपालन में पत्रांक 114/न०भू०सी०/03दि.28.5.03के अन्तर्गत सीलिंग वाद सूँ०1.5.32/5019में दायर अपील में माननीय अपर जिलाजज षष्टम मुरादाबाद के
- 32) आदेश दि.20.5.95के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा वाद रिमाण्ड किया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका सूँ०16729/07माननीय न्यायालय के आदेश दि.15.3.97के द्वारा खारिज की गई तत्पश्चात निरसन अधिनियम
- 33) 1990प्रभावी हो जाने के कारण सूँ०क्षम प्राधिकारी के आदेश दि.4.3.2003के द्वारा उक्त वाद निरसित किया गया तथा वाद पत्रावली निक्षेप की गई तदनुसार वाद में कब्जा ली गई निम्न लिखित भूमि पर भूधारक के पक्ष में कब्जा छोड़ने तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के स्थान
- 34) पर भूधारक श्री बालकिशोर भटनागर पुत्र स्व०श्री रामचन्द्र नि०हरथला के नाम दर्ज हो ग्राम का नाम/गाटा सूँ०/क्षेत्रफल वर्ग०मी०मेकम सूँ०1-ग्राम मऊ गाटा सूँ०516मि रकबा 1144.72वर्ग०मी०व 2-ग्राम सोनकपुर गाटा सूँ०90मि रकबा 1443.83वर्ग०मी०कुल 2किता रकबा 2588.55वर्ग
- 35) मी० ह०आर०के० 17.3.09
- 36) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद . वाद सं.1856/28.5.09को आदेश हुआ कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं.385 के खसरा न.866 रकबा 0.486हे०लगानी व मुजिब . खतौनी के पूर्ण भाग में से 0.80एकड़ पर से विक्रेता . चन्द्रसैन पुत्र स्व०जेठू निवासी मिलक भोला सिंह तह०
- 37) व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज होकर क्रेता शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह० अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम सहखातेदार के साथ .स०भू०के रूप में द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 4.7.92के आधार पर दर्ज कागजात हो तत्पश्चात मृतक शेर सिंह . पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह०
- 38) अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राममनोहरलाल .निवासी हाल खुशहालपुर तह०व जिला मुरादाबाद का नाम द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 2.1.95त०भू० के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित हो ह०आर.के. 5.6.09
- 39) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विविध निगरानी सं.शून्य /2007-08धारा 219एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 29.7.2008के अन्तर्गत उमा शंकर शर्मा आदि वनाम भानुप्रकाश आदि में खाता सं.195पर प्रतिपक्षी गण दिनांक 1.9.2008के लिए नोटिस जारी
- 40) किये जाय । अवर न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली अपील सं.789/07एवं अपील सं.26/123उमा शंकर शर्मा वनाम भानुप्रकाश आदि तथा तनवीर अहमद आदि वनाम भानुप्रकाश आदि एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली वाद सं.353/03भानुप्रकाश वनाम गु पुनिया तथा वाद सं.97भानुप्रकाश वनाम श्रीमती
- 41) पुनिया तलव की जाय । तब तक प्रतिपक्षी सं.1भानुप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश नि.दलपतपुर तह०व जिला मुरादाबाद को वाद ग्रस्त आराजी का किसी प्रकार अन्तरण/विक्रय करने से निषेध किया जाता है । ह०आर०के०दि.25.7.09

- 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.22.9.09के अनुपालन में आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगरभूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 278/न0भू0सी008दिनांक 3.10.08के अन्तर्गत शासन देश सं.513 उन्चास-152(47)पू0सी083दिनांक 6.9.86के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त करते
- 43) हुये नये सिरे में भूमि सीमा के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रत्यावर्तित की गई तथापि सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.24.12.87द्वारा ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.879/8943.87व0मी0गाटा सं.1873से 654.44व0मी0कुं ल.9598.31व0मी0भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई । सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.17.2.01के
- 44) द्वारा निरसन अधिनियम 1999के अनुसार वाद पत्रांक पत्रावली निक्षेप की गई तथा इस कार्यालय के पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01के द्वारा ग्राम सोनकपुर गाटा सं.1879/8943.87व0मी0गाटा सं.873/654.44व0मी0कुं ल.9598.31व0मी0भूमि से राज्य सरकार के स्थान पर भूधारक श्री वफातीका नाम अंकित करने हेतु लिखा गया
- 45) जबकि उक्त वाद में गाटा सं.1879/8943.87 व0मी0व गाटा सं.873रकवा 1059.14व0मी0का कब्जा दिनांक 22.3.79को तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लिया गया । अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01के प्रस्तर-3 में अंकित ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.1873/654.44व0मी0के
- 46) स्थान पर 1059.14व0मी0सही पदा जाय । ह0आर0के023.9.09
- 47) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 100/न0भू0सी0010 दिनांक 30.4.10के अन्तर्गत वाद सं.2759/101 सरकार वनाम हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0में धारा 100 के उपरान्त धारा 100.5की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के अन्तर्गत सक्षम
- 48) प्राधिकारी के आदेश दि.20.2.08के द्वारा वाद पत्रावली यथा स्थिति निक्षेप की गई है अतः गाटा सं.538/1133.16 व0मी0गाटा सं.541/654.45व0मी0भूमि पर हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह0आर0के0दि.5.5.10
- 49) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरादाबाद वाद सं.1.455/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं.1.385 के गाटा सं.1.866/0.486 हे.लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता चन्द्र सेन पुत्र स्वाजितु नि0 ग्राम भोला सिंह की मितक सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रेता
- 50) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह0आर0के016.6.10
- 51) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरादाबाद वाद सं.1.117/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं.1.385 के गाटा सं.1.866/0.486 हे.लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता श्रीमती कान्ती देवी पत्नी राम मनोहर लाल नि0ग्राम खुशहालपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रेता
- 52) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 27.7.10
- 53) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं.1.77/10धारा 143ज0वि0अधि0आदेश दि.18.6.10के अन्तर्गत में हिन्द निहोन प्रोटीन्स वनाम सरकार में तहसील आख्या सस्तुति के आधार पर खाता सं.1.30गाटा सं.1.566/0.028 का 1/2भाग एंव खाता सं.1.385 के गाटा सं.1.538मि/0.113
- 54) 541 0.065हे को अकृषिक घोषित कि या जाता है तथा लगान समाप्त कि या जाता है ह0आर0के0 018.8.10
- 55) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं.31/820/454/2011-12धारा34 LR ACT ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद खाता सं.371 गाटा सं.263/2043.20 वर्ग मी0 भानुप्रकाश वनाम मु0पुनिया में दिनांक 19.9.12 के अन्तर्गत प्रश्रुत वाद में वसीयत अपंजीकृत होने के फलस्वरूप धारा 169
- 56) में हुए संशोधन के अनुसार मान्य नहीं है तथा खसरा सं. 263 में मौके पर आवादी / गैर कृषि भूमि होने के कारण इस भूमि पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0के प्रावधान लागू नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विधि लागू है, विरासत का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है, उक्त विवेचना के
- 57) आधार पर नामान्तरण प्रसूचना निरस्त की जाती है, ह0आर.के...1.4.2013
- 58) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान नगर भूमि सीमा रोपण - सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 730/न0भू0सी0/ रिट0/2014 दिनांक 18नवम्बर 2014 के क्र म में, मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 35789/ 2011ख खमानी वनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) में पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 व दिनांक
- 59) 31.10.2014 के अनुपालन में ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की गाटा सं.669 रकवा 2549.61वर्ग मी0 भूमि पर जो अतिरिक्त सीलिंग भूमि के खाते में अंकित है, जिसे निरस्त कर भूधारक खमानी पुत्र तुलाराम का नाम इस शर्त के साथ अंकित कि या जाये, शासनादेश संख्या 319जी0कदिनांक
- 60) 14.01.1980 में धारा 20 के अन्तर्गत उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों का रिमार्क कॉलम में अंकन कि या जाये कि 1- भूमि का उपयोग केवल कृषि के लिये कि या जायेगा, 2- भूमि प्लाटिंग कर विक्रय अन्तरण नहीं कि या जायेगा, परन्तु कृषक प्रयोजन हेतु विक्रय अन्तरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
- 61) कि या जायेगा, 3- कृषक प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक अन्तरण अधिनियम की धारा -19(एक) (तीन) में उल्लिखित कि सी बैंक, वित्तीय संस्था अथवा केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट कि सी वित्त निगम या वित्तीय संस्थान के पक्ष में कि या जा सके गा, ह0आर.के...2.12.2014
- 62) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक, मुरादाबाद द्वारा वाद सं0T2151354014307 आदेश दि.24.8.15 को आदेश हुआ कि खाता सं.371 के गाटा सं.263/1 रकवा 0.2020हे. अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान वमुजिव खतौनी पर अंकित मृतका श्रीमती पूनिया पत्नी पूरन के स्थान पर भानुप्रकाश पुत्र
- 63) स्व0ओमप्रकाश नि0 ग्राम दलपतपुर का नाम बतौर वारिस सं0भू0के रूप में अंकित हो । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प0क011 ख आदेश दि.12.2.1994 निरस्त कि या जाता है । ह0आर.के

- 64) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0120151354014413 धारा 210एल0आर0एक्ट आदेश दि.28.08.2015 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र आदि बनाम भानुप्रताप शर्मा मे खतौनी वर्ष 1420-25 के खातासं.371के खसरानं. 263/1 रकवई 0.2020हे. अर्थात् 2020.00वर्ग
- 65) मीटर लगान बमुजिव स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद अवर न्यायालय का आदेश दि. 24.08.2015 अग्रिम आदेशो तक स्थगित किया जाता है । ह0आर.के 07.9.15
- 66) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0120141354015842 आदेश दि.15.09.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371के खसरानं.873मि रकवा 0.040हे. लगान बमुजिव खतौनी के बकदर भाग मे से 0.0100हे. पर से विक्र ता वफाती पुत्र इतवारी नि0 ग्राम मिलक भोला सिंह
- 67) सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क ता श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव पत्नी शैलेन्द्र सक्सैना निवासी डी-73 . आवर्तिका कालौनी, शहर व तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे बजरिये बैनामा दि.20.02.14 के आधार पर सं0भू0के रूप मे दर्ज हो । ह0आर.के 0
- 68) 30.09.15
- 69) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद के आदेश दि.08.06.16के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर की खातासं.371 पर त्रुटिवश न्यायालय तहसीलदार सदर, मुरादाबाद वादसं. 120141354015892 आदेश दि.15.09.15 दर्ज हो गया है । की त्रुटि की शुद्धि करते हुए उक्त
- 70) आदेश खाता संख्या 252 पर अंकित कि या जाता है । ह0आर.के 08.6.16
- 71) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद . पत्रांक 2060/न0भू0सी0/ 2016 दिनांक 30.05.16 के अन्तर्गत महबूब पुत्र श्री फे जबख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं.-316/1589 मे धारा -45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के
- 72) आदेश दिनांक 28.02.1992के द्वारा ग्राम सोनकपुर के गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296 से 8255.88 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है .जिसके सम्बन्ध मे धारा-10(5) का नोटिस दिनांक 09.11.1993 को जारी कि या गया
- 73) तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे . अमलदरामद कि या गया . लेकि न प्रश्नगत वाद मे धारा -10 (5)के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम -1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.5.16 के द्वारा उक्त
- 74) वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है. ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्गमीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296से 8255.88वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक
- 75) श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित करें . ह0आर.के ...17.6.2016
- 76) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2060/न0भू0सी0/2016 दिनांक 30-05-16 के अन्तर्गत श्री महबूब पुत्र फैजवख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं 315/1589 मेधारा 45के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-02-1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा संख्या 296 से 8255-88वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई है। जिसके सम्बन्ध मे धारा 10(5)का नोटिस दिनांक 09-11-93 को जारी किया गया तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे अमलदरामद किया गया लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा 10(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-16 के द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर की गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हों ह0आर.के23-07-16
- 77) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 436/5216 सरकार बनाम छोटेलाल मे जिलाधिकारी महोदय. के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर भूधारक छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम दर्ज हों ह0आर.के0 30/07/16
- 78) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/ 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 1310/5214 सरकार बनाम बालकिशन मे जिलाधिकारी महोदय. के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हों. ह0आर.के0 30/07/16
- 79) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 12.8.16के अनुपालन मे कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्रांक सं0 2219/न0भू0सी0/2016 दिनांक 12अगस्त 2016के अन्तर्गत अख्तर आदि के द्वारा इस कार्यालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0798मि0 की उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1420फ से 1425फ प्रस्तुत की है जिसमे 0.3080हे0अर्थात् 3080वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त घोषित दर्ज है सीलिंग वाद सं0 200/600सरकार बनाम अख्तर सीलिंग वाद सं0 173/599 सरकार बनाम मटरू एवं सीलिंग वाद सं0 190/602सरकार बनाम मुख्तार मे जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश 4.8.16के द्वारा भूधारक अख्तर आदि की ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 4564.25व0मी0भूमि सीलिंग से मुक्त है अतः ग्राम सोनकपुर के

- टी सं 798 की 3080वर्गमी०भूमि जिसपर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो 1 के स्थान पर श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वैध वारिसों के नाम दर्ज हो 1 ह०आर०के०दि 12.8.16
- 80) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद कम्प्यूटर वाद सं० टी 20151354014413धारा 210एल०आर०एक्ट ग्राम सोनकपुर गिरीश चन्द्र बनाम भानु प्रकाश शर्मा में आदेश दि 28.9.16के अन्तर्गत वादीगण की अपील की कार्यवाही निरस्त की गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.8.2015को भी निरस्त किया गया है खतौनी वर्ष 1420फ से 1425फ के खाता सं० 371के खसरा न० 263/1 रकबई 0.2020है०अर्थात् 2020.00वर्ग मीटर लगान वमूजीब दर्ज हो ह०आर०के०दि 03.10.16
- 81) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31-01-17 के अनुपालन में आदेश श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या टी 2016130092 धारा 219 एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 19-01-17 के अन्तर्गत गिरीश चन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर order of lower court shall remain stayed. ह०आर०के०दि 08-03-17
- 82) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक संख्या 2476/न०भू०सी०/2017 दिनांक 01-03-2017 के अन्तर्गत सीलिंग वाद संख्या 316/1589 सरकार बनाम श्री महबूब आदेश दिनांक 28-05-2016 /मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल रिट याचिका संख्या 854/2012 श्री महेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र०सरकार में ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 रकबई 4168-41 व गाटा संख्या 547 रकबई 629-17 पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-2016 के अनुपालन में उक्त भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर महबूब अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम दर्ज हो ह०आर०के०दि 08-03-17
- 83) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21-03-17 के अनुपालन में जिलाधिकारी मुरादाबादके आदेश दिनांक 15-03-17 द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 17-06-16 व 04-08-16 अपास्त किये गये हैं तथा पूर्व जारी कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2190/न०भू०सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का छोटेताल अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने तथा कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न०भू०सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 2219/न०भू०सी०/2016 दिनांक 12-10-16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 798 की 3080 वर्ग मीटर जिस पर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो के स्थान पर भूधारक श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वैध वारिसानों के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये हैं दिनांक 12-08-16 को वापस ले लिया गया है। तदनुसार उक्त पत्रों के आधार पर भूधारकों के पक्ष में किये गये अमलदरामद के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित किया जाता है। ह०आर०के०दि 24-3-17
- 84) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 02-02-18 के अनुपालन में - आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं टी 201813540100557 धारा 144 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 30-01-2018 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम भानु प्रकाश शर्मा आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर वाद के निस्तारण तक मोके पर यथा स्थिति बनाये रखे ह०आर०के०दि 19-02-18
- 85) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान एस०वी०तिवारी, अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या-सी० 2017130092 धारा 219 एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 27/07/2017 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता सं० 371 के गाटा सं० 263/1 रकबा 0.2020है० अर्थात् 2020.00 वर्ग मी० पर परीक्षण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 24/08/15 एवं अपीलीय न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 28/09/2016 में किसी हस्तक्षेप का औचित्य न पाते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। इस न्यायालय का स्थगन आदेश यदि कोई हो भी निरस्त किया जाता है ह०आर०के०दि 19/05/2018
- 86) 1428फ आदेशानुसार श्रीमान कार्यालय रा०नि० दुष्यन्त कुमार क्षेत्र हरथला आवेदन संख्या 2020131350071900144। राजस्व संहिता की धारा 33(2) के अन्तर्गत उत्तराधिकार आदेश दिनांक 19.11.2020 को आदेश हुआ कि खाता सं० 377 पर मृतक खमानी पुत्र तुलाराम के स्थान पर हरपाल सिंह, ज्ञानपाल सिंह पुत्रगण खमानी सिंह नि०भोगपुर मिठौनी के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह०आर०के०दि 28.12.2020

Data Digitally Signed by:RAM SINGH RAWAT (REGISTRAR KANOONGO)
दिनांक समय स्थान: 12-03-2024 01:29:11 तहसील - मुरादाबाद

मुद्रित कर्ता: TUSHAR BHAVNAGAR तहसील: मुरादाबाद
मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 03:29:31

Not Applicable For Online Proms उपरोक्त उद्घरण कर्तव्य का वेरीफिकेशन
<https://pshdclh.gov.in/Website> पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

यह दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक निवेदनों के माध्यम से तैयार किया गया है। इस दस्तावेज़ को हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।



03BB 864349



9 MAR 2010



बयनामा

बयनामा 2,67,900/-रु0 मालयती 2,67,900/-रु0 स्टाम्प 18,760/-रु0

मैं/हम कि सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा निवासी-बसौमी तहसील विसौली जिला बदायूँ, विनोद कुमार यादव, अतेश कुमार यादव पुत्रगण श्री सुन्दर लाल निवासी ग्राम घटवाई तहसील शाहबाद जिला रामपुर, रामगोपाल सिंह, महावीर सिंह पुत्रगण श्री हरि सिंह निवासी ग्राम सलारपुर उर्फ हाजीपुर तहसील सम्भल जिला मुरादाबाद, खेमसिंह पुत्र श्री रूपसिंह निवासी झांझनपुर तहसील व जिला मुरादाबाद प्रथम पक्ष विक्रेता व उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वितीय पक्ष क्रेता है।

श्री दीप कुमाठ सिंह
संयुक्त सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



विनोद कुमार यादव

अतेश

सुन्दर लाल

महावीर सिंह



मि. सु. के. म. सिंह

19 MAR 2010

आपका पता: कोटा जिला


स्टाम्प धरारशि: कोटा जिला

सी. टी. वी. वार्ड उपपक्ष मुरादाबाद का प्राधिकरण मुरादाबाद

को कोषागार मुरादाबाद

मुख्य रिकॉर्डिंग
कोषागार मुरादाबाद





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 519694

- 2 -

19 MAR 2010

जो कि एक किता काश्त आराजी बकन्दर भाग गाटा सं०-681 रकबई 0.057 हैक्टेयर जायदाद जैल जमी ताल्लुकात मुताल्लिका उसके वाके ग्राम सोनकपुर व जिला मुसदाबाद महदूदा जैल जिसके मुकिर/मुकिरान व हैसियत मालिकाना मालिक काबिज व मालिक है, जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत भूमिधरी मालिक काबिज व दखील है । जिसके निस्वत प्रथम पक्ष विक्रेता को कुल अख्तयारात इन्तकालात मालिकाना प्राप्त है । कोई अग्रमान इन्तकाल हाजा नही है जो इस समय तक हर प्रकार के बरमिस्ल रहन बय हिया जमानत किफालत कुर्की व नीलामी दीगरें व लोन सरकारी व गैर सरकारी गरज कि हर नुक्स व शास्त्री आदि से कतई बरी व पाक साफ है ।

प्रदीप कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
मुसदाबाद विकास प्राधिकरण
मुसदाबाद



ARORA
Advocate
Office, MBD

Arora
संयुक्त सचिव


अरुण-2 विनायक चंदर अंतरा रामगोपाल अरुण प्रदीप





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 519693



- 3 -

19 MAR 2010

लिहाजा बहालत दुरुस्ती होश हवाश खान्सा विला बहकाये व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के खूब सोच समझकर तमागी शयमुवईया मजकूराबाला को मय तमागी हदूद व हकूक दाखली व खारजी व मय हकूक आबरेजी हर किस्म व मय हक रास्ता आमदोरफत व मय दीगर कुल हक व हकूक मुताल्लिका उसके को विला छोडे किसी जुज व हक व हिस्से के बिल एवज मुबलिंग रूपये 2,67,900/- (दो लाख सडषठ हजार नौ सौ रूपये) आधे जिसके मुबलिंग रु०-1,33,950/- (एक लाख तेतीस हजार नौ सौ पचास रूपये) बदस्त उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद क्रेता वय कताई और फरोख्त काभिल करके कुल जरें समन उसका हस्य तपसील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमागी शयमुवईया मजकूरा बाला का कब्जा व दखल मालिकाना भिस्लजात खास अपनी के द्वितीय पक्ष (क्रेता) को करा दिया अब प्रथम पक्ष (विक्रेता) के किसी वारिसान का कुछ हक ताल्लुक मालिकाना व दावा किसी

प्रतिपत्ता सिद्ध
संयुक्त कार्य
मुंबई विकास प्राधिकरण
मुंबई

अशोक चंद्र किशोर कुमार अशोक रामजीपल

श्री श्री प्रदीप
श्री श्री अशोक चंद्र
श्री श्री अशोक चंद्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000


ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 519692



- 4 -

9 MAR 2010

किस्म का निरवत शय मुबईया या जरे समन उसके से बाकी नहीं रहा और न ही आइन्दा कभी होगा । चुनांचे तकायिजुल बदलैन उसका वहम प्रथम पक्ष (विक्रेता) व द्वितीय पक्ष (क्रेता) के अमल में आ गया है जुमला जमाने दर्क व इस्तहकाक उसका व जिम्मे प्रथम पक्ष (विक्रेता) है अगर बाद को कोई कानूनी व शास्त्रान बाके आवे अगर बाद को किसी वक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) शय मुबईया जुज या कुल कब्जे द्वितीय पक्ष (क्रेता) या बारिसान उसके से निकल जाये या बगरज तहपफुज शयमुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) को कुछ सर्फा मजीद खर्च या अदा करना पड़े तो उसी कदर जरे समन की वापसी का मैं प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूल व गैरमनकूला हर किस्म से कुल हरजे व खरचे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष होंगे ।

उत्तर प्रदेश अमित कुमार इलेस्ट रमजोत



प्रदीप कुमार सिंह
संगुक्त स्वरिब
मुद्राबन्दा विकास प्राधिकरण
मुद्रादायक

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

₹. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES



Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

19 MAR 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 453985

- 5 -

बनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियों व जिम्मेदारियों जिम्मे प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होगी । आराजी की यावत पूर्व में कोई मुआयदावय नहीं हुआ है आराजी बक्फ या कस्टोडियन या ग्राम समाज से सम्बन्धित नहीं है । अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष विक्रेता का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा लें प्रथम पक्ष (विक्रेता) को उज्र व एतराज न होगा । आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है । आराजी उपरोक्त में कोई भवून पेड़ कूप, बोरिंग आदि नहीं है । आराजी गजकूर में मौके पर 200मी0 की त्रिज्या में खेती हो रही है । आराजी मुबईया कृषि भूमि गाटा सं0-681 का सरकिल रेट जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित जारी मूल्यांकन सूची परिशिष्टि-एक उपखण्ड-ग के क्रमांक-29 के अनुसार रूपये 18,00,000/- प्रति एकड निर्धारित है, किन्तु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण रूपये 19,00,000/- प्रति एकड की दर से मालियत पर स्टाम्प शुल्क रूपये 18,760/- अदा किया जा रहा है उक्त रेलवे मार्ग मुरादाबाद दिल्ली से करीब 500 मी0 दूर दक्खिन की तरफ है ।

प्रदीप कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अतिरिक्त सचिव

④ [Signature]

④ [Signature]

④ [Signature]

④ [Signature]

④ [Signature]

19 MAR 2010

शेखर द्विवेदी को एक
स्टान्ड धनराशि... श्री. दोहरे वारसे उपायदक्ष गुरादाबाद जल प्राधिकरण गुरादाबाद
श्री...
को कोदावार गुरादाबाद से लिया गया।

कोदावार गुरादाबाद

श्री महावीर सिंह
पुत्र श्री हरि सिंह
पेसा
निवासी ग्राम सलारपुर छफे हाजीपुर तह0 राम्मल
जि0 मुरा0

Handwritten signature



श्री खेम सिंह
पुत्र श्री रूप सिंह
पेसा
निवासी ब्रांझनपुर तह0 व जि0 मुरा0

Handwritten signature



ने निम्नानुसार ग्योकार किया।
जिनको पहचान श्री दिलावर सिंह
पुत्र श्री नथू सिंह
पेसा

Handwritten signature

निवासी हिमगिरी कालोनी मुरा0

व श्री राजू खेम सिंह
पुत्र श्री खेम सिंह
पेसा

Handwritten signature

निवासी ब्रांझनपुर मुरा0

ने को।

अवधान: यह साक्षियों के निजाम अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



Handwritten signature
अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 यदव
उप निबन्धक (द्वितीय)
गुरादाबाद
23/3/2010.



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100



सत्यमेव जयते

ONE HUNDRED RUPEES



भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

9 MAR 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 579587

- 6 -

विक्रीत खसरा नम्बरान में विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण भाग विक्रेय किया है तथा विक्रेता का कोई भाग शेष नहीं रहा है । पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री तुषार अरोरा, एडवोकेट यू.पी.05414/08 कचहरी, मुरादाबाद के द्वारा प्रमाणित किये हैं । अतः यह बयनामा कतई लिख दिया ताकि सनद रहे और बक्त जरूरत काम आवे । इति । तफसील बसूली जरे समन मुबलिग रूपये 2,67,900/- (दो लाख सड़षठ हजार नौ सौ रूपये) चैंक संख्या 131185 दिनांक 10.03.2010 केनरा बैंक एम.डी.ए. शाखा मुरादाबाद बयनामा हाजा कब्ल रजिस्ट्री प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया ।

अवेरान्त विक्रीत आत अतेश रामलोपात

निर्मल गुलाब

अ.रा. गुलाब

प्रवीण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

19 MAR 2010

आल दिनांक.....

रटाग्र धराराशि.....

श्री.....

को कोबागार मुरादाबाद

श्री. शीहरे वारते उपाह्वल मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद

कोबागार मुरादाबाद

267,900.00/	268,000.00	विक्रय पत्र	5,360.00	40	5,400.00	2,000
प्रतिफल	प्रतिफल	प्रीम रजिस्ट्री	नकल व प्रति मुल्य	पॉर	प्रत्य लगभग	
श्री अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु0वि0प्रा0मुरा0	प्रतिनिधि मु0वि0प्रा0					
पुत्र श्री वासुदेव						
पेशा नौकरी						
निवासी स्थान कार्या0 मु0वि0प्रा0मुरा0						
अम्हादी पत्र						
ने पत्र लेखपत्र इन कार्यालय में	दिनांक 23/3/2010	समय 5:56PM				
द्वारे निबन्धन हेतु पेश किया।						



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पी0 के0 यादव
उप निबन्धक (द्वितीय)
मुरादाबाद
23/3/2010

निष्पादन लेखपत्र बाद मुने व समझने मजदुर व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा
पुत्र श्री रमेशचन्द्र शर्मा
पेशा कृषि
निवासी बत्तीमी तह0 विरौली जि0 बदायूं

21-4-5



श्री अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु0वि0प्रा0मुरा0
प्रतिनिधि मु0वि0प्रा0मुरा0
पुत्र श्री वासुदेव
पेशा नौकरी
निवासी कार्या0 मु0वि0प्रा0मुरा0



श्री विनोद कुमार यादव
पुत्र श्री सुन्दर लाल
पेशा
निवासी ग्राम पटवाई तह0 साहवाव जि0 रामपुर

विनोद



श्री अतेश कुमार यादव
पुत्र श्री सुन्दरलाल
पेशा
निवासी ग्राम पटवाई तह0 साहवाव जि0 रामपुर

अतेश



श्री राम गोपाल
पुत्र श्री हरि सिंह
पेशा
निवासी ग्राम सलारपुर उर्फ हाजीपुर तह0 तम्मल जि0 मुरा0

रामगोपाल





1-9 MAR 2010
 उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 579586

-7-

हद्द अरवा आराजी मुबईया गाटा सं० 681

पूरव- सीलिंग भूमि एवं गाटा संख्या-682
 पश्चिम- गाटा संख्या-680
 उत्तर- रास्ता
 दक्षिण- रेलवे लाईन

अरवा मुबईया गाटा अरवा रामगोपाल अरवा मुबईया गाटा अरवा मुबईया गाटा अरवा मुबईया गाटा अरवा मुबईया गाटा



अरवा मुबईया गाटा अरवा मुबईया गाटा अरवा मुबईया गाटा अरवा मुबईया गाटा अरवा मुबईया गाटा

प्रदीप कुमार सिंह
 संपुका सचिव
 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
 मुरादाबाद

दिनांक 19 MAR 2010

स्टाम्प घनराशि... श्री. दोहरे वारते उपरान्त मुरादाबाद जिला प्राधिकरण मुरादाबाद

को कोषागार मुरादाबाद जिला प्राधिकरण

विवेकता

Registration No.: 1855

Year: 2010

Book No.:

0105 महावीर सिंह

हरि सिंह

घाम सलाखपुर उत्तर हाजीपुर तहसील जिला मुरादाबाद



0106 खेम सिंह

रूप सिंह

झांझनपुर तहसील जिला मुरादाबाद



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20/11/2015 दिनांक 434279

प्रदीप कुमार सिंह
संयुक्त अधिकारी

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(क्रेता)

- 8 -



हस्ताक्षर

सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री रमेश
चन्द्र शर्मा निवासी-बसौमी
तहसील विसौली जिला बदायूं
विनोद कुमार यादव, अतेश
कुमार यादव पुत्रगण श्री
सुन्दरलाल निवासी ग्राम पटवाई
तहसील शाहबाद जिला रामपुर,
रामगोपाल सिंह, महावीर सिंह
पुत्रगण श्री हरि सिंह निवासी
ग्राम सलारपुर उर्फ हाजीपुर
तहसील सम्मल जिला
मुरादाबाद, खेमसिंह पुत्र श्री
रूपसिंह निवासी झांझनपुर
तहसील व जिला मुरादाबाद ।

(क्रेता)

रामगोपाल (4)
अतेश (3)
सुरेश चन्द्र शर्मा
खेमसिंह पुत्र श्री रूपसिंह
अतेश (5)
रूपसिंह (6)

Identified

TWINKAR AKOKA

Adm.
Kunj

19 MAR 2010

आज दिनांक.....

स्टाम्प धनराशि.....

श्री. दीहरे वास्ते उपायुक्त गुरादाबाद जिला प्रधिकरण गुरादाबाद

श्री.....
श्री कोषामार गुरादाबाद जिला प्रधिकरण

कोषामार गुरादाबाद

विक्रेता

Registration No.: 1855

Year: 2010

Book No. : 1

0101 सुरेश चन्द्र शर्मा

रमेशचन्द्र शर्मा
बराही तहसील मिर्जापुर जिला बदायुँ
कृषि



0102 विनोद कुमार यादव

सुन्दर लाल
ग्राम पटवाई तहसील शाहबाद जिला रामपुर




0103 अतीश कुमार यादव

सुन्दरलाल
ग्राम पटवाई तहसील शाहबाद जिला रामपुर



0104 राम गोपाल

हरि सिंह
ग्राम सलारपुर उर्फ हानीपुर तहसील सगमल जिला गुरादाबाद



भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 9 -

85AA 187252



TUSHAR ARORA
Advocate
Near Registry Office, IABC

साक्षी-1 श्री दिलावर सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह
निवासी-हिमगिरी कालौनी
तहसील व जिला मुरादाबाद ।

हस्ताक्षर
[Signature]



TUSHAR ARORA
Advocate
Near Registry Office, IABC

साक्षी-2 श्री राजू पुत्र श्री खेमसिंह
निवासी-झांझनपुर तहसील व जिला मुरादाबाद ।

हस्ताक्षर
[Signature]

यह धरनामा हाजा दिनांक 22.03.2010 को बईकरार मशबरा पक्षकारान बगुकाग
मुरादाबाद टाईप किया गया ।

[Handwritten signature]

Identified

TUSHAR ARORA
Adv.
[Signature]

बदलाव सुधार सिंह
राधुका सोहन
मुरादाबाद मिनार प्रसिधकारण
मुरादाबाद

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



19 MAR 2010

आज दिनांक.....
रंदाय्य धवराशि... 10 कुल धवराशि.....
पी..... श्री. दीक्षी. वास्ते उपाययज्ञ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद
को कोषागार मुरादाबाद में निम्नलिखित...

रंदाय्य धवराशि

[Signature]
कोषागार मुरादाबाद

प्रेता

Registration No. : 1855

Year: 2010


Book No. : 1

0201 अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिगृह्य भूविभागापुरा प्रतिनिधि :
वासुदेव
कलाविभागापुरा
नीकरी



ग्राम सौन्यपुर तहसील विला पुसापावा
गावा सं - 681
द्वे 0-057 हेक्टर

५०



M.D.A.
13/1/10

13-01-10

अशोक विनायक कुमारे अशोक रामबापत



अशोक
विनायक कुमारे
अशोक
रामबापत

(5) (6)

प्रमाण सुधार विंग
समुदाय समित्य
पुसापावा विकास प्राधिकरण
मुसापावा

आज दिनांक 23/03/2010 को
यही सं. 1 जिल्द सं. 6439
पृष्ठ सं. 17 से 38 पर क्रमांक 1855
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 यादव
उप निबन्धक (द्वितीय)
मुरादाबाद
23/3/2010




2877/09

(1-57)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

083509



13 JUL 2009



बयनामा

7810
6154
209

बयनामा 4,55,900/-रु० मालयती 4,55,900/-रु० स्टाम्प 31,950/-रु०

मैं कि श्रीमती मोहनी सिंह पत्नी श्री गौतम सिंह निवासी- रेलवे हरथला कालौनी पानी पहाड़ी की टंकी निकट मस्जिद मुरादाबाद प्रथम पक्ष विक्रेता व उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वितीय पक्ष क्रेता है ।



Handwritten signature

Handwritten signature
(प्रदीप कुमार सिंह)
उपस्थित
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

आज दिनांक 13 मई 2009 को एक दिनांक
स्टाम्प धरती... [Signature] को एक दिनांक...
को कोषागार मुरादाबाद के दिनांक [Signature]

मुख्य रोकड़िया
कोषागार मुरादाबाद




13 मई 2009
[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

083510



2

13 JUL 2009

जो कि एक किता काश्त आराजी बकदर भाग रकबई 0.0970 हेक्टेयर खाता खतौनी नं०-291 खसरा नं० 681मि जायदाद जैल जमी ताल्लुकात मुताल्लिका उसके याके ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद महदूदा जैल जिसके मुकिर/मुकिरान व हैसियत मालिकाना मालिक काबिज व दखील है जिसकी निस्वत हमको कुल अख्तयारात इन्तकालात मालिकाना प्राप्त है कोई अग्रमाने इन्तकाल हाजा नहीं है, जो इस समय तक हर प्रकार के वार मिस्ल रहन, बय हिया, जमानत किफालत कुर्की व नीलाम, मुआयदाबय दीगरे व लीन सरकारी व गैरसरकारी बगैरा गरज कि हर नुक्स कानूनी व शास्त्री आदि से कतई बरी व पाक साफ है ।


(प्रदीप कुमार सिंह)
उपस्थित
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

आज दिनांक 13 JUL 2009 को एक किता

स्टाम्प धरवाही... 15250/... को एक किता

को कोषागार मुरादाबाद के दिनांक 13 JUL 2009 को कोषागार मुरादाबाद

मुख्य रोकड़िया
कोषागार मुरादाबाद





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 909677



13 JUL 2009

लिहाजा बहालत दुरुस्ती होश हवाश खमसा विला बहकाये व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के खूब सोच समझकर तमागी शयमुबइया मजकूराबाला को मय तमामी हदूद व हकूक दाखली व खारजी व मय हकूक आबरेजी हर किस्म व मय हक रास्ता आमदोरफत व मय दीगर कुल हक व हकूक मुताल्लिका उसके को विला छोड़े किसी जुज व हक व हिस्से के बिल एवज मुबलिंग कुल रूपये 4,55,900/-रु० (चार लाख पच्चपन हजार नौ सौ रूपये) आधे जिसके मुबलिंग 2,27,950/- (दो लाख सत्ताइस हजार नौ सौ पचास रूपये) बदस्त उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वितीय पक्ष (क्रेता) वय कतई और फरोख्त कागिल करके कुल

Handwritten signature



(प्रदीप कुमार सिंह)
उपस्थित
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
13 JUL 2009

E 525106

4

जरे समन उसका हस्ब तफसील जैल खरीदार से वसूल पाकर तमामी शयमुबईया मजकूरा वाला का कब्जा व दखल मालिकाना मिस्तल जात खास अपनी के खरीदार मजकूर का करा दिया मैंने अब हमारा या किसी वारिस का कुछ हक न आइन्दा कभी होगा । चुनाचे तकाविजुल बदलैत उसका वचाहम विक्रेता कर्जखाह या औलाद या अन्य बाद को कोई कानूनन या शास्त्रन वाके आवे । अगर वाद को किसी फेज विक्रेता कर्जखाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की दावेदारी से शयमुबईया कुल या जुज कब्जे खरीदार या वारिसान उनके से निकल जावे या वगरज तहफफुज शयमुबईया खरीदार को कुछ सर्फा मजीद खर्च या अदा करना पड़े तो उसी कदर

(प्रदीप कुमार सिंह)
अवसधिष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

₹ 100



भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

100100
00100100100
0100100100
00100100100
00100100100
00100100100
00100100100
00100100100
00100100100
00100100100

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13 JUL 2009

Z 153833

5

जरे समन की वापसी का मुक़िर/मुक़िरान मजकूर अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किरम अपनी से कुल हर्जे खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार रहेंगे वनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियों व जिम्मेदारियों जिम्मे मुक़िर/मुक़िरान होगी । अब खरीदार को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी में से हमारा नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा लें विक्रेता वारिसार मुक़िरान को कुछ उर्ज व एतराज न होगा । अतः यह वयनामा कतई लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे इति । तफसील जरे समन 4,55,900/-रु० (चार लाख पचपन हजार नौ सौ रूपये) चैक संख्या 125936 दिनांक 10.07.2009 केनरा बैंक एम०डी०ए० शाखा मुरादाबाद द्वारा कबल रजि० वयनामा वसूल पाए ।



(पदीप कुमार सिंह)
असतिष्ठ
मुरादाबाद विकास बालिका
मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

₹ 100



सत्यमेव जयते



भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH '13 JUL 2009

Z 153834

6

तफसील जायदाद जोकि एक किता आराजी काश्त बहालत उर्फतादा बकदर भाग रकबई 0.0970 हैक्टेयर खाता खतौनी नं0-291 खसरा नं0 681मि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1414-1419 के अनुसार असल मालिक है । जो हर तरह से पाक साफ है तथा मेरे/हमारे द्वारा यह भूमि किसी अन्य को विक्रय नहीं की गयी है । विक्रेता एवं गवाहान की पहचान पर श्री दत्त प्रियंका प्रधान सोनकपुर मुरादाबाद द्वारा प्रामाणित की है ।

Handwritten signature



Handwritten signature

पदपोस्ट
911612000

Handwritten signature and stamp

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

100100
0100100100
0100100100
0100100100
0100100100
0100100100
0100100100
0100100100
0100100100
0100100100

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13 JUL 2009

Z 153835

7

आराजी वक्फ या कस्टोडियन की नहीं है तथा आराजी का कोई मुआयदाबय नहीं हुआ है, आराजी खाली प्लॉट है कोई निर्माण नहीं है आज तक मुख्तारनामा आम मंसूख नहीं हुआ है। आज तक विक्रेता जुम्मा, रुस्तम पुत्रगण सलार बख्स निवासी-ग्राम मिलक भोला सिंह तहसील व जिला मुरादाबाद जीवित है। आराजी मुबईया कृषि भूमि खसरा नं० 681 का सरकिल रेट जिलाधिकारी द्वारा जारी मूल्यांकन सूची परिशिष्ट-एक उपखण्ड-ग के क्रमांक-31 के अनुसार रुपये 10,00,000/- प्रति एकड़ निर्धारित है, किन्तु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण रुपये 19,00,000/- प्रति एकड़ की मालियत पर स्टाम्प शुल्क रुपये 31,950/- अदा किया जा रहा है।



(प्रदीप कुमार सिंह)
उपनिर्देशक
मुरादाबाद विलेज प्राधिकरण
मुरादाबाद

आज दिनांक **13 JUL 2009** को एक किता
 रटास्य धरणादि... 100... पुत्र धरणादि... 100...
 श्री. सी. सी. शर्मा के उपरान्त अ. प्रमाणित... का अधिकार सुरक्षावाक
 को कोषागार सुरक्षा... किया।

मुद्रा: सी. सी. शर्मा
 कोषागार सुरक्षावाक

विक्रय पत्र
 455,900.00/ 455,900.00 5,000.00 20 5,020.00 800
 प्रतिफल मालिफन फॉर्म रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग अन्त लगभग

श्री/श्रीमती अर्जुन सिंह अवि० हस्ता० मुरा० वि० प्र० मुरा०
 पुत्र/पत्नी श्री

पेशा नौकरी
 निवासी म्याप
 अम्हापो पता

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 15/7/2009 समय 5:01PM
 पर निबन्धन हेतु पेश किया।

पी० के० यादव
 उप निबन्धक (द्वितीय)
 मुरादाबाद
 15/7/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद मुनने व समग्र प्रमाण व प्राप्ति धरणादि का प्रमाणितमात्र उक्त

विशेषतः

श्री/श्रीमती मोहनी सिंह
 पुत्र/पत्नी श्री गोतम सिंह
 पेशा गृहिणी
 निवासी बेलवे हरद्वार मुरा०

[Handwritten Signature]



केता

श्री/श्रीमती अर्जुन सिंह अवि० हस्ता० मुरा० वि० प्र०
 मुरा०
 पुत्र/पत्नी श्री
 पेशा नौकरी
 निवासी

[Handwritten Signature]



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100



₹. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH '13 JUL 2009

Z 153836

8

हद्द अरवा आराजी मुबइया गाटा सं० 681

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| पूरब | - सीलिंग भूमि एवं गाटा संख्या-682 |
| पश्चिम | - गाटा संख्या-680 |
| उत्तर | - रास्ता |
| दक्षिण | - रेलवे लाईन |



(प्रदीप कुमार सिंह)
सहायक
मुख्यालय विकास परियोजना
अवकाश

13 JUL 2009

आज दिनांक.....को एक किताब
स्टाम्प धनशर्मा... 100... मुद्रा... को...
की...
को कोषागार मुद्रा... किया।

मुख्य रोफडिया
कोषागार मुद्राबाद
पिकेता

Registration No 3877

Year: 2009

Book No. 1

0101 मोहनी सिंह
मोहन सिंह
रेलवे हस्तगत मुद्रा
गुविनी



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 812921

9

हस्ताक्षर (प्रदीप कुमार सिंह)
उपस्थिति

मुरादाबाद विजल प्राधिकरण
उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विभाग
अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

हस्ताक्षर

श्रीमती मोहनी सिंह पत्नी श्री गौतम सिंह
निवासी-रेलवे हरथला कालोनी पानी
पहाडी की टंकी निकट मस्जिद
मुरादाबाद ।



(क्रेता)

(विक्रेता)

श्री रामसंयक पुत्र श्री करनसिंह
मुरादाबाद

श्री-1 श्री रामसंयक पुत्र श्री करनसिंह
निवासी-म0न0-13, आदर्श कालोनी
निकट पी0ए0सी0 मुरादाबाद ।

हस्ताक्षर



साक्षी-2 श्री शिवनन्दन सिंह पुत्र स्व0 श्री कनक सिंह
निवासी-आदर्श कालोनी निकट समाज कल्याण विभाग,
मुरादाबाद ।

शिवनन्दन सिंह
हस्ताक्षर

यह बयनामा हाजा दिनांक 15.07.2009 को बड़करार मशवरा पक्षकारान बमुकाम
मुरादाबाद टाइप किया गया ।

हस्ताक्षर
मुरादाबाद
457612009

आज दिनांक 13 JUL 2009 को एक किरा
स्टाम्प धनराशि 50/- को मालिक को देकर
को कोबागार मुरादाबाद से दिवस किया।

मुख्य रोकड़िया
कोबागार मुरादाबाद

फैता

Registration No. 3877

Year : 2009

Book No. 1

0201 अर्जुन सिंह अफिओ हस्तो मुराओ विओओ मुराओ

गौकरी



13 JUL 2009
कोबागार मुरादाबाद



चक्रशानिर्जरा
ग्राम सैनिकपुराहम जिला मुन्नाबाद
गाव सं 681
द्वि - 0-0970 हे०

48

(प्रदीप कुमार सिंह)
उपसचिव
मुन्नाबाद विकास पंचायत
मुन्नाबाद



15-7-09

15/7/09

आज दिनांक 15/07/2009 को
वही सं 1 जिल्द सं 6154
पृष्ठ सं 209 से 228 पर क्रमांक 3877
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


पी0 के0 यादव
उप निबन्धक (द्वितीय)
मुरादाबाद
15/7/2009



चक्रशांभरी
श्रीमत्सोमपुराणमन्त्रालयपुरादावाप
गादासं ६६।

दि० - ० - ०१७० ई०

५७



13-7-09

13/7/09